कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी खण्ड रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / 33 / 2025–26 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यॉ0 / 26 रीवा, दिनांक 20.05.2026

ई–टेण्डरिंग निविदा आमंत्रण सूचना

01. निम्नलिखित कार्यों हेतु ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑन लाइन निविदायें एपेन्डिक्स 2.10 में प्रतिशत दर पर प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, भोपाल की नलकूपों के खनन कार्य से संबंधित दिनांक 01.09.2023 से प्रभावशील एकीकृत दर सूची एवं निविदा सूचना जारी होने के दिनांक तक किए गए समस्त संशोधनों के आधार पर केन्द्रीयकृत नवीन पंजीयन के तहत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा ऑन लाइन टेण्डर प्रक्रिया के तहत आमंत्रित की जाती है।

निविदा पब्लिशिंग का दिनांक **20.05.2026** डाक्यूमेन्ट डाउन लोड / सेल स्टार्ट डेट दि0 **20.05.2026** डाक्यूमेन्ट खरीदी की अंतिम दिनांक **03.06.2026** बिड सबमिशन प्रारम्भ का दि0 **20.05.2026** एवं बिड सबमिशन का अंतिम दिनांक **03.06.2026** को सायं 5.30 बजे तक निर्धारित हैं। Manadatory ‘A’ एवं बिड ओपनिंग दिनांक **05.06.2026** पूर्वान्ह 11.00 बजे निर्धारित है।

02. उक्त निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय बेवसाइट (http//www.mptenders.gov.in) पर प्रदर्शित है।

03. कार्य का विवरण :–

रीवा जिले के खण्ड अन्तर्गत विकासखण्ड़ रायपुर में स्थापित हैण्डपंपों का नियमित निरीक्षण, संधारण, ग्रीसिंग एवं आवश्यकतानुसार क्लोरीनेशन आदि समस्त कार्य।

ई–टेण्डर नं0	विकासखण्ड / हैण्डपंपों की संख्या	कार्य की अनु0 लागत (रू. लाख में)	प्रतिभूति राशि (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2026_PHED_507000_1	रायपुर (3360 है.पं.)	39.90	50000.00	5000.00	एक वर्ष

शर्तेः–

1. निविदाकार का जीएसटी में पंजीयन होना आवश्यक है।
2. देयक से आयकर, जीएसटी एवं कर्मचारी कल्याण उपकर का नियमानुसार कटोत्रा किया जावेगा।
3. उपयोग की गई सामग्री से संबंधित रायल्टी की रसीदें देयक के साथ प्रस्तुत करना होगी अन्यथा देयक से रायल्टी काटकर राजस्व मद में जमा कर ली जावेगी, जिसे विभाग संबंधित निविदाकार को वापिस करने हेतु बाध्य नहीं होगा।
4. सशर्त निविदाए मान्य नहीं की जावेगी।
5. निविदाकार को एनेक्सर बी अनुसार रूपये 50 / – के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. शासन के आदेश पत्र क्रमांक 4302 / आर–2220 / 2016 / 2 / 34 भोपाल, दिनांक 26.12.2018 एवं प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, ''जल भवन'' बाणगंगा भोपाल के पत्र क्रमांक 66 / एम.आई.एस. / प्र0अ0 / लो0स्वा0यॉ0वि0 / 2019 / भोपाल, दिनांक 02.01.2019 में दिये गये निर्देशानुसार आमंत्रित निविदाओं में समस्त धरोहर राशि एवं निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेजों को ऑन लाइन प्राप्त किया जाना है।
   ऑन लाइन धरोहर राशि प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित निविदा के प्रतिभागी समस्त निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत ई–धरोहर की राशि मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के निर्धारित खाते में जमा होगी।

- विभाग के निविदा आमंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त निविदाओं के पूर्व योग्यता संबंधी दस्तावेज का ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से परीक्षण किया जायेगा। इस परीक्षण में अयोग्य पाये गये निविदाकारों का निर्धारण पोर्टल के माध्यम से किये जाने के पश्चात् संबंधित निविदाकार की ई–धरोहर की राशि पोर्टल के माध्यम से स्वयमेव संबंधित निविदाकार के खाते में हस्तांतरित हो जायेगी।
- तकनीकी परीक्षण में योग्य पाये गये समस्त निविदाकारों के वित्तीय प्रस्ताव को पोर्टल के माध्यम से खोला जायेगा तथा निविदा आमंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा वित्तीय प्रस्ताव के परीक्षण के उपरांत न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार का निर्धारण किया जायेगा। इस न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार के अलावा अन्य सभी प्रतिभागी निविदाकारों की ई–धरोहर राशि भी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के खाते से संबंधित निविदाकार के खाते में हस्तांतरित हो जायेगी।
- विभाग द्वारा न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से नियमानुसार अनुबन्ध किया जायेगा तथा निविदा की शर्तों के अनुसार परफार्मेंस गारंटी हेतु यथोचित रूप में राशि प्राप्त की जायेगी। तत्पश्चात् विभाग द्वारा उक्त पोर्टल पर कार्यादेश अपलोड किया जायेगा। कार्यादेश अपलोड किये जाने के उपरान्त न्यूनतम निविदाकार की सम्पूर्ण धरोहर राशि संबंधित निविदाकार के खाते में स्वयमेव हस्तांतरित हो जायेगी।
- निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई धरोहर राशि को परफार्मेंस गारंटी या सुरक्षा निधि में समायोजित नहीं किया जायेगा। निविदाकार से निविदा की शर्तों के अनुसार परफार्मेंस गारन्टी अथवा सुरक्षा निधि की समुचित राशि यथोचित रूप में पृथक से प्राप्त की जायेगी। समस्त निविदा आमंत्रणकर्ता अधिकारी उक्त पोर्टल में कार्यादेश अपलोड करने के पूर्व न्यूनतम निविदाकार से परफार्मेंस गारन्टी की सम्पूर्ण राशि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाकार अपने बैंक अकाउंट की जानकारी एम.पी. टेण्डर पोर्टल (https://www.mptenders.gov.in) पर अपने लॉग–इन आई.डी. से लॉग–इन कर बैंक अकाउंट डिटेल्स फार्म में दर्ज करेंगे।
- निविदाकार RTGS/NEFT/Debit Card/Credit Card/Net Banking के माध्यम से ई.एम.डी .(e-EMD) की राशि पोर्टल पर जमा कर सकेंगे उसके बाद वे निविदा में भाग लेने की कार्यवाही पूर्ववत करेंगे।
- वित्तीय आफर खुलने के उपरांत न्यूनतम निविदाकार की ई.–ई.एम.डी. (e-EMD) की राशि को छोड़कर शेष सभी निविदाकारों द्वारा जमा ई.–ई.एम.डी.(e-EMD) की राशि पोर्टल के माध्यम से वापस की जाएगी, जो कि निविदाकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड बैंक खाते में ही वापस होगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ई.–ई.एम.डी.(e-EMD) जमा करने वाले निविदाकार किसी भी खाते से ई.–ई.एम.डी.(e-EMD) की राशि जमा कर सकेंगे परन्तु वापसी निविदाकार के रजिस्टर्ड बैंक खाते में ही होगी। सफल निविदाकार की ई.–ई.एम.डी.(e-EMD) की राशि अनुबंध करने तक रोक कर रखी जाएगी तथा अनुबंध निष्पादित किये जाने के उपरांत वापस की जाएगी।
- यदि किसी कारण से ई.एम.डी.(EMD) राजसात करने का निर्णय लिया जाता है तो निविदाकार द्वारा जमा ई.–ई.एम.डी. (e-EMD) की राशि पोर्टल पर राजसात की जाएगी तथा राजसात की गयी राशि सर्विस प्रोवाईडर द्वारा तुरंत लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग के 8443 सिविल जमा खाते में जमा की जाएगी जिसे निक्षेप खाते के धारक द्वारा चालान के माध्यम से राजस्व प्राप्तियाँ <u>0215</u> शीर्ष में जमा कराई जाएगी।

7. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा जारी लिखितें (Instrument) मान्य नहीं होंगे।
8. प्राप्त न्यूनतम निविदा दर (एल–1) दस प्रतिशत से अधिक नीचे (More Than Ten Percent Below) होने पर निविदा दर को अव्यवहारिक दर (Unworkable Rates) माना जावेगा। अव्यवहारिक दरें (Unworkable Rate) प्राप्त होने पर सफलतम निविदाकार (एल–1) द्वारा निविदत्त दर अनुसार गणित निविदा राशि (Tendered amount) एवं एस.ओ.आर. पर निविदा की लागत से 10 प्रतिषत कम राशि (amount 10% below PAC) के अंतर की राशि अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी के रूप में (Additional performance guarantee) ली जायेगी।
9. अतिरिक्त परफोरमेंस गारंटी उसी प्रारूप में ली जावेगी जिसमें अरनेस्ट मनी / परफारमेंस गारंटी (Earnest Money / Performance Guarantee) ली जाती है।
10. Additional performance guarantee प्राप्त होने के उपरांत ही अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।
11. Additional performance guarantee भौतिक रूप से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (Physical Completion Certificate) जारी होने के पश्चात ही वापस की जाए।
12. म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 मार्च 2020 अनुसार यदि संविदा मूल्य रू. 50.00 लाख तक है तो रू0 1000/– एवं यदि संविदा मूल्य रू0 50.00 लाख से अधिक है तो रू. 5.00 लाख रू0 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए संविदा मूल्य का 0.2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित होगा या जी0एस0टी0 लागू होने पर जो भी निविदा अनुबन्ध के दस्तावेज पर दरें लागू होंगी, उसे निविदाकार द्वारा वहन करना होगा।
13. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निविदा आमंत्रणकर्ता को होगा।

14. हैण्डपम्प सुधार कार्य हेतु प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल का यूनिफाईड एस.ओ.आर. जो दिनांक 01.09.2023 से प्रभावशील है, (निविदा जारी होने के दिनांक तक समस्त संशोधनो सहित) लागू होगा।

15. कार्यादेश जारी होने के उपरांत विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित समस्त हैण्डपंपो संबंधित क्षेत्र के सहायक यत्री/उपयंत्री द्वारा लधु एवं वृहद् सुधार कार्य हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त षिकायतों को रजिस्टर में पंजीबद्व करते हुये, विभाग द्वारा हैण्डपंप मेकेनिक एवं ठेकेदार/प्रतिनिधि को सूची प्रतिदिन उपलब्ध कराई जावेगी तथा प्राप्त शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता कम के इसी अनुरूप करते हुये विभाग द्वारा प्रदाय की गई सामग्री एवं सुधार कार्य किये गये हैण्डपम्पों का लेखा संधारित किया जावेगा जो देयक के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

16. निविदाकार द्वारा कार्यादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा एवं हैंडपंपों की प्राप्त पंजीकृत शिकायतों की सूची के अनुसार 03 दिवस के अन्दर सुधार कार्य करके संबंधित पंचायत के सरपंच/वार्ड पंच/विभागीय हैण्डपंप मैकेनिक/स्कूल शिक्षक/ग्राम सेवक/पटवारी/पंचायत सचिव अथवा सुधारे गये हैण्डपंप के निकट रहने वाले रहवासियो से पंचनामा/प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि में शिकायत का निराकरण नही किये जाने पर रुपये 200/– (दो सौ रुपये प्रति हैण्डपम्प प्रतिदिन) का अर्थदण्ड अधिरोपित कर देयक से वसूल किया जायेगा। इसके बाद अगले दो दिनों अर्थात कुल पांच दिवसों तक सुधार कार्य नही किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा अपने संसाधनों से सुधार कार्य करा लिया जायेगा तथा कार्य पर हुये कुल व्यय के दो गुने के बराबर राषि की वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी, जो कार्य में बिलम्ब हेतु अधिरोपित अर्थदण्ड के अतिरिक्त होगी।

17. इसी प्रकार अनुबन्ध की समाप्ति के समय भी ठेकेदार द्वारा हैण्डपंप वापस विभाग को हस्तांतरित किये जायेंगे जिन्हें विभाग द्वारा सामग्री यथा पाईप, लिंक रॉड आदि का सत्यापन कर प्रभार में लिया जायेगा। हैण्डपंपों के हस्तांतरण हेतु प्रारूप संलग्न है। विभाग द्वारा हैण्डपंपों का समग्र रूप से अथवा यदैच्छिक परीक्षण (रेंडम चेकिंग) कर प्रभार लिया जायेगा।

18. ठेकेदार द्वारा हैण्डपंप अपने आधिपत्य में लेने के उपरान्त समस्त हैण्डपंपों का निरीक्षण कराया जायेगा एवं जो भी हैण्डपंप बिगड़े पाये जायेंगे उनका सुधार कार्य कराया जायेगा। हैण्डपंपों का निरीक्षण एवं बिगड़ा पाये जाने पर सुधार सतत प्रक्रिया होगी जो पूरे अनुबन्ध काल तक चलेगी।

19. ठेकेदार को बिगड़े हैण्डपंप की शिकायत किसी भी माध्यम से यथा विभाग को प्राप्त एवं विभाग द्वारा अग्रेषित, जन प्रतिनिधियों से सीधे प्राप्त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सीधे प्राप्त, विकासखण्ड स्तर पर दर्ज, सामान्य जल से सीधे प्राप्त होने पर शिकायत को पंजीबद्ध कर सुधार कार्य करना होगा। शिकायतों के निराकरण हेतु प्राथमिकता कम इसी के अनुसार होगा एवं सुधार कार्य के रिकार्ड हेतु प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर एक पंजी रखना होगी।

20. ठेकेदार हैण्डपंप संधारण टीम के टीम लीडर (हैण्डपंप मैकेनिक) का नाम उसके क्षेत्र की सभी लोकेशन्स यथा ग्राम पंचायत, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य स्थल जहॉ ग्रामीण नियमित रूप से एकत्र होते हैं पर अंकित करायेंगे। जिससे हैण्डपंप बिगड़ने की स्थिति में ग्रामवासियों द्वारा सीधे भी उन्हें सूचित किया जा सके।

21. हैण्डपंपो के संधारण कार्य को दो श्रेणीयो मे क्रमशः लघु सुधार एवं वृहद् सुधार कार्य मे वर्गीकृत किया गया है। लघु सुधार कार्य मे हैण्डपंपो के जमीन सतह के ऊपर भाग का संधारण कार्य आता है और वृहद सुधार कार्य मे हैंण्डपंप को खोलकर जमीन सतह के नीचे के भाग का संधारण कार्य आता है अतः ठेकेदार को हैण्डपंपो के संधारण कार्य की उक्त श्रेणियो के मान से ही संधारण कार्य की केवल मजदूरी कार्य का भुगतान किया जायेगा। भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले देयक के साथ हैण्डपंपो के किये गये लघु/वृहद संधारण कार्य का प्रमाण पत्र जो कि संबंधित क्षेत्र के प्रभारी तकनीशियन (हैण्डपंप), ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, ग्राम स्तरीय शासकीय सेवक, प्रभारी उपयंत्री द्वारा हस्ताक्षरयुक्त हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव मे भुगतान देय नही होगा।

22. यदि किसी हैंण्डपंप में 6 मीटर तक राईजर पाईप बढ़ाई जाती है तो उसे लघु (Minor) सुधार मे माना जायेगा।

23. एक हैण्डपंप के सुधार कार्य का भुगतान 6 माह में एक ही बार किया जायेगा। जिस हैण्डपंप का बृहद् (Major) सुधार किया जावेगा उस हैण्डपंप का लघु सुधार में पृथक से भुगतान नहीं होगा परन्तु यदि किसी हैण्डपंप का लघु सुधार किया जा चुका है तो आगे दिनों में बृहद् सुधार का भुगतान लघु सुधार की राशि घटाकर किया जावेगा।

24. निविदा मे हैण्डपंपो के लघु सुधार कार्य/वृहद सुधार कार्य हेतु हैण्डपंपो की दर्षित संख्या अनुमानित है। यह संख्या घट–बढ सकती है ।

25. ठेकेदार को प्रत्येक दिवस सहायक यंत्री/प्रभारी उपयंत्री से व्यक्तिगत/कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा मोबाइल/फोन पर चर्चा कर हैण्डपंपो के सुधार हेतु आवश्यक श्रमिको, औजारो (टी एण्ड पी) तथा सामग्री के परिवहन एवं आवागमन हेतु वाहन की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

26. हैण्डपंपों के सुधार हेतु आवश्यक स्पेयर पार्ट्स तथा पाईप, राड निविदाकार को विभागीय भंडार गृह से निःशुल्क प्रदान की जावेगी। सामग्री का परिवहन ठेकेदार द्वारा स्वयं के ब्यय पर करना होगा, पुरानी बदली गई सामग्री उपखण्डीय/केन्द्रीय भण्डार गृह में तीन दिवस में जमा करनी होगी। पुरानी पाइप राड वापस न किये जाने की स्थिति में भण्डारगृह की दर सूची के आधार पर सामग्री की लागत का 120 प्रतिशत के समतुल्य कटौती की जावेगी।

27. हैण्डपंप सुधार कार्य एवं सुधार हेतु आने जाने के दौरान दुर्घटना होने एवं उसके कारण उत्पन्न दावों– प्रतिदावों के निराकरण का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। ऐसे प्रकरणों में विभाग को किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा।

28. निविदा स्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। समयावधि में अनुबन्ध निष्पादित न करने की दशा में निविदाकार की अमानत राशि राजसात की जाकर आगामी एक वर्ष तक विभाग में निविदा स्पर्धा में भाग नही लेने दिया जावेगा।

29. कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

30. निर्माण कार्य पर नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को कार्य स्थल पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

31. निविदा प्राप्त होने वाले दिनांक को किन्ही कारणों से शासकीय अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदाएँ आगामी कार्यालयीन दिवस में खोली जावेगी।

32. अनुबन्ध की अवधि 1 वर्ष (एक वर्ष) रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर अगले वर्ष की निविदा का अनुबन्ध जारी करने के दिनांक तक उपरोक्त अनुबन्ध अनुसार ही कार्य करना होगा।

33. शासन के आदेश क्रमांक एफ 16–50/2017/2/34 दिनांक 31 जुलाई 2017 के अनुसार 1 जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवाकर (GST) सभी वर्क कान्ट्रेक्ट पर 18 प्रतिशत की दर से लगेगा। शासन के इस आदेश अनुसार ठेकेदार को देयक भुगतान के समय जी.एस.टी. की जो दर देयक पर लागू हो उसके अनुसार टैक्स का भुगतान पृथक से ठेकेदार को किया जावेगा। जी0एस0टी0 को छोड़कर (Exclusive of GST) शेष समस्त कर, उपकर, लेवी, फी, टोल इत्यादि के भुगतान का दायित्व निविदाकार का होगा तथा यह माना जायेगा कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव (Financial Offer) में उक्त राशि का भुगतान सम्मिलित है।

34. **अनुभव तथा गुणवत्ता का प्रमाण–पत्र उपयंत्री, सहायक यंत्री के हस्ताक्षरयुक्त एवं कार्यपालन यंत्री के द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

35. प्रत्येक हैण्डपंप सुधार का गूगल फोटो, पंचनामा निर्धारित प्रपत्र पर एवं प्रति दिवस प्रभारी उपयंत्री के पास कार्यालय में जमा कराना होगा। पंचनामा को प्रभारी हैण्डपंप टेक्नीशियन द्वारा सत्यापित कराना होगा।

36. ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं, ई0एस0आई0 कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड
रीवा (म0प्र0)

पृ0क्र0 **1027991**/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/26 — रीवा, दिनांक **20.05.2026**

प्रतिलिपि :–

01. प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, ''जल भवन'' बाणगंगा, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, जबलपुर परि0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chitranshu
Date: .. :: IST
Location: Madhya Pradesh-MP